

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15052023-245872
SG-DL-E-15052023-245872असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]	दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2023/वैशाख 25, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 55
No. 154]	DELHI, MONDAY, MAY 15, 2023/VASAKH 25, 1945	[N. C. T. D. No. 55

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त विभाग
(राज्य संसाधन प्रभाग)
अधिसूचना

दिल्ली, 14 मई, 2023

सं० F.10/10/2023-24/SRD/Fin/1781-1790.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का 10) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद्वारा निर्देश देते हैं कि आयुक्त (आबकारी) द्वारा एल-3 लाइसेंस के संबंध में, दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम 34 के उप-नियम 2 के अंतर्गत "सरकार" की शक्ति का प्रयोग प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पूर्व सहमति से किया जाए।

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी तथा निविदा दस्तावेज की निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
रविंदर कुमार, उप सचिव-1 (वित्त)

FINANCE DEPARTMENT**(State Resource Division)****NOTIFICATION**

Delhi, the 14th May, 2023

No.F.10/10/2023-24/SRD/Fin-1781-1790.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of Delhi Excise Act, 2009 (10 of 2010), the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby directs that the power of "Government" under sub-rule 2 of Rule 34 of Delhi Excise Rules, 2010 in respect of L-3 License, may be exercised by Commissioner (Excise) with prior concurrence of Pr. Secretary (Finance), GNCTD.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette and subject to terms and conditions of tender document.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor

of National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)